


349

225

पक्षकारों एवं अधिवक्ता आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा जिला

रीवा म०प्र०



Rs 30/-

RS33111/16

श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री निर्णय शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम शिवराजपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म०प्र०

---निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम

1. श्रीमती रामकली शुक्ला पत्नी नरेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी जी-3 सिचाई कालोनी सिविल लाइन तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

---गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

2. मध्यप्रदेश शासन

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश राजस्व निरीक्षण मण्डल रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० द्वारा प्रकरण क्रमांक 308/अ-2/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 06.08.14

अधिवक्ता श्री भाद्र प्रताप सिंह डाटा प्रताप 21-7-16

ब्लॉक आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रां०सं०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2014 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि निगरानीकर्ता आराजी नम्बर 533/3/1 रकवा 0.022हे० यानि 60x40=2400 वर्गफिट स्थित ग्राम स्तहरा पटवारी हल्का समान तहसील

रेखा

225

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5331-III/16 जिला रीवा

रेखा शर्मा विरुद्ध राजकली धुक्ला

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. भाग्यलता देवी..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त 1234...तहसील...के प्रकरण क्रमांक 308/11-12-13-14.....में पारित आदेश दिनांक 06-8-2014.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19.....को कलेक्टर.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

रीवा